

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, फिरोजाबाद
पत्रांक—2969 / 14—1 दिनांक: फिरोजाबाद: 17 मार्च 2018

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मैनपुरी।

विषय: जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण, अलीगढ़ द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 91 अलीगढ़ से कानपुर के किमी 229.00 से 289.00 (कानपुर से नवीगंज) तक मार्ग का चार लेन चौड़ीकरण के निर्माण में प्रभावित होने वाले 97.896 हेठो संरक्षित वन का गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 11377 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ: 1—भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्र 8B/UP/06/13/2018/FC/184 दिनांक 28—02—2018।
2—मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उठोप्रो, लखनऊ का पत्र 2977 / मैनपुरी / 24596 / 2018 दिनांक 03—03—2018।
3—आपका पत्रांक 2227 / 14—1 दिनांक 12 मार्च 2018।

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा बिन्दु संख्या—3 पर निम्न आपत्ति की गई है:—

- 3) As per GIS DSS analysis of proposed forest land for diversion and propose compensatory afforestation, following issues need rectification:
 - a) Some portion of proposed forest land diversion overlap existing road
 - b) Some portion of proposed Compensatory afforestation shows presence of structure. This issue needs rectification and explanation regarding suitability of site.

बिन्दु संख्या 3(a) प्रयोक्ता अभिकरण से सम्बन्धित है।

बिन्दु संख्या 3(b) क्षतिपूरक वनीकरण के चयनित क्षेत्र से सम्बन्धित है। इसके स्पष्टीकरण हेतु परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण, अलीगढ़ के साथ उक्त आपत्ति से

सम्बन्धित क्षेत्र झापारा लैण्ड बैंक की भूमि का स्थलीय संयुक्त निरीक्षण दिनांक 16 मार्च 2018 को किया गया तथा स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित क्षेत्र के अन्दर कोई भी स्थायी संरचना नहीं है तथा सम्पूर्ण क्षेत्र वन विभाग के कब्जे में है तथा क्षतिपूरक वनीकरण एवं उसके प्रबन्धन हेतु सर्वथा उपयुक्त है। उपरोक्त के अतिरिक्त क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित शेष क्षेत्र भी क्षतिपूरक वनीकरण एवं उसके प्रबन्धन हेतु उपयुक्त है।

भवदीय,

(उमा शंकर दोहरे)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
फिरोजाबाद।

पत्रांक / उक्तादिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न लिखित की सेवा में प्रेषितः—

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वन संरक्षक, आगरा वृत्त, उत्तर प्रदेश, आगरा।

महाप्रबन्धक सह परियोजना निदेशक, भारती राष्ट्रीय प्राधिकरण, अलीगढ़।

(उमा शंकर दोहरे)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
फिरोजाबाद।